दिनांक–13.10.2025 (सोमवार) को अपराह्न 04:00 बजे से निदेशक, खान की अध्यक्षता में VC के माध्यम से आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– VC के माध्यम से।

समीक्षा के क्रम में VC के माध्यम से जिलों के सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निम्न बिन्दुओं पर निदेश दिए गए :–

1. **समाहरण :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय जिलों यथा–मुंगेर, सारण, जहानाबाद, शिवहर, रोहतास, जमुई, गया, पटना, नालन्दा, नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, सिवान, बेगूसराय, सीतामढी, वैशाली, कैमूर, कटिहार एवं भागलपुर के द्वारा सितम्बर, 2025 तक निर्धारित लक्ष्य का 20 प्रतिशत की प्राप्ति नहीं की गई है, जो कि अत्यंत ही खेदजनक है।

जिन जिलों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कम वसूली की गई है उन्हें सख्त निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के समाहरण हेतु कार्य योजना बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

2. **दण्ड :–**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह सितम्बर, 2025 तक दण्ड मद में निर्धारित लक्ष्य 77359.36 लाख रू0 के विरूद्ध केवल 3882.15 लाख रू0 की प्राप्ति हुई है।

दण्ड मद में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न निदेश दिये गये :–

(i) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–56(6) के तहत जिनके वाहन स्वामी/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित समयावधि में दण्ड की राशि का भुगतान नहीं की गई है, वैसे वाहनों पर राज्यसात, अधिहरण एवं नीलामी की कार्रवाई व्यक्तिगत रूचि लेकर समाहर्त्ता के स्तर से करायी जाए।

(ii) जप्त वाहनों का अधिहरण, राज्यसात एवं नीलामी की कार्रवाई में तेजी लाये। साथ ही अधिहरण वाहनों का अविलम्ब नीलामी करायी जाए।

(iii) खान निरीक्षक प्रतिदिन क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध छापेमारी करें। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

3. **बालू मद में राजस्व की प्राप्ति :–**

राज्यान्तर्गत सभी संचालित बालूघाटों से सितम्बर, 2025 तक कुल 89327.45 लाख रू0 किस्त की राशि के रूप में प्राप्त होनी थी, जबकि वर्तमान में कुल सितम्बर, 2025 तक 53828.45 लाख रू0 की ही वसूली हो पायी है, जो संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में बालूघाट के किस्त में कम समाहरण होने के संबंध में सभी जिलों में इसकी समीक्षा कर अंतर राशि की वसूली हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

4. **मानसून अवधि के पश्चात् बालूघाट का संचालन करने के संबंध में आवश्यक तैयारियों की समीक्षा :–**

मानसून अवधि के बाद बालूघाटों से बालू खनन प्रारंभ होने से पूर्व विभागीय पत्रांक–5708, दिनांक 10.10.2025 के द्वारा निर्गत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

5. **नीलाम पत्र वाद :–**

नीलाम पत्र वादों में अत्यधिक राशि वसूली हेतु लंबित है। नीलाम पत्रों के नियमित अनुश्रवण नहीं होने के कारण राशि की वसूली नहीं हो पाती है, इस संबंध में नीलाम पत्र वादों में नोटिस, BW/DW निर्गत कर सन्निहित राशि की वसूली करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

6. **माननीय न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा :–**

समीक्षा के क्रम में अरवल, बाँका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, गया, मधुबनी, नवादा, पटना, सारण एवं वैशाली जिलों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अविलम्ब प्रतिशपथ पत्र दायर कर उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्य बिन्दु :–

1. विभागीय पत्रांक–5280 / एम0, पटना, दिनांक–19.09.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2023–24 तक Input Items and Input Rates for Minor Minerals (Including Sand) संबंधी आँकड़े कतिपय जिलों यथाः– भोजपुर, मधुबनी, भागलपुर और सारण जिलों से अप्राप्त है। उन जिलों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अविलम्ब संबंधित आँकड़े विहित प्रपत्र में दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–संबंधित सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

2. विभागीय पत्रांक–5174 / एम0, पटना, दिनांक 16.09.2025 के द्वारा अप्रैल, 2022 से अबतक के लघु खनिज उत्पादन से संबंधित मासिक डाटा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन में माहवार आँकड़े उपलब्ध नहीं कराया गया है, अपितु कुछ जिलों द्वारा वार्षिक आँकड़े उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि विहित प्रपत्र में माहवार आँकड़े तैयार कर दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

3. समीक्षा के क्रम में सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि NIC का नया e-mail-platform(mail.gov.in) पर 14 अक्टूबर, 2025 तक Login कर लिया जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

4. कैमूर जिला के खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पत्थर का DSR तैयार कर दो दिनों के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन :–संबंधित जिले के सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

5. जिलान्तर्गत कुल प्रत्यार्पित बालूघाटों की संख्या 47 है। कुल 47 बालूघाटों में से मात्र 05 बालूघाटों की सफल नीलामी हुई है। शेष बालूघाटों की नीलामी अविलम्ब कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(विनोद दूहन) 16/10/25
निदेशक, खान

ज्ञापांक :– 5800 / एम0, पटना, दिनांक :– 16.10.2025

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी (मु0 / क्षे0) / आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव